न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 22/2021

1 इन्द्रजीत सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
2 राकेश कुमार पुत्र घनश्याम जाति महाजन निवासी औधोगिक क्षेत्र सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 दीपक कुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति महाजन निवासी एस.के. कॉलेज के सामने सीकर।
4 सुशील कुमार पुत्र गिगराज जाति महाजन निवासी मोहल्ला शेखपुरा तहसील व जिला सीकर।
5 मनोहरलाल पुत्र नारायणलाल जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 22 रामलीला मैदान सीकर।
6 शिशुपाल सिंह पुत्र नारायण प्रसाद जाति जाट निवासी बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 हरलाल सिंह पुत्र मूंगाराम जाति यादव निवासी कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारागढ़ जिला सीकर।
2 सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 96 सीपीसी विरूद्व अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 08.09.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम आर.ए.एस. दावा संख्या 94/2007 बउनवानी मोहन कंवर बनाम शिशुपाल सिंह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 23/2021

1 इन्द्रजीत सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति जाट निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

2 राकेश कुमार पुत्र घनश्याम जाति महाजन निवासी औधोगिक क्षेत्र सीकर तहसील व जिला सीकर।

3 दीपक कुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति महाजन निवासी एस.के. कॉलेज के सामने सीकर।

4 सुशील कुमार पुत्र गिगराज जाति महाजन निवासी मोहल्ला शेखपुरा तहसील व जिला सीकर।

5 मनोहरलाल पुत्र नारायणलाल जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 22 रामलीला मैदान सीकर।

6 शिशुपाल सिंह पुत्र नारायण प्रसाद जाति जाट निवासी बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

7 हरलाल सिंह पुत्र मूंगाराम जाति यादव निवासी कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 मोहन कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारागढ़ जिला सीकर।
2 सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 96 सीपीसी विरूद्व अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 16.08.2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश सहल आर.ए.एस. दावा संख्या 94/2007 बउनवानी मोहन कंवर बनाम शिशुपाल सिंह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

अपील संख्या 29/2021

1 ऋषिराज पारीक पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहमण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।
2 जुगल रावत पुत्र लालचन्द निवासी पुराना वार्ड नम्बर 28 एस.के. स्कूल के सामने की तरफ सीकर।
3 ताराचन्द पुत्र गिनमल जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 20 मण्डावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 मोहन कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारागढ़ जिला सीकर।
2 सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 शिशुपाल सिंह पुत्र नारायण प्रसाद जाति जाट निवासी बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 हरलाल सिंह पुत्र मूंगाराम जाति यादव निवासी कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 96 सीपीसी विरूद्व अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 08.09.2016 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम आर.ए.एस. दावा संख्या 94/2007 बउनवानी मोहन कंवर बनाम शिशुपाल सिंह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 30/2021

1 ऋषिराज पारीक पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहमण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 जुगल रावत पुत्र लालचन्द निवासी पुराना वार्ड नम्बर 28 एस.के. स्कूल के सामने की तरफ सीकर।
3 ताराचन्द पुत्र गिनमल जाति कुमावत निवासी वार्ड नम्बर 20 मण्डावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन कंवर पत्नी करणसिंह जाति राजपूत निवासी त्रिलोकपुरा तहसील दांतारागढ़ जिला सीकर।
2 सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3 भूमिधारी तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 शिशुपाल सिंह पुत्र नारायण प्रसाद जाति जाट निवासी बरसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 हरलाल सिंह पुत्र मूंगाराम जाति यादव निवासी कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 96 सीपीसी विरूद्व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 16.08.2012 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री लोकेश सहल आर.ए.एस. दावा संख्या 94/2007 बउनवानी मोहन कंवर बनाम शिशुपाल सिंह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयसिंह तंवर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री निर्मल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.12.2021

यह चारो अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2007 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। चारो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से चारो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियों चारों पत्रावलियों मे पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने ग्राम तिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 226,227,228,229,229/864 बाबत दावा अन्तर्गत धारा 53,88, 188 प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 16.08.2012 से प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 08.09.2016 से अंतिम डिक्री पारित की गई है। इससे व्यथित होकर यह चारो अपीले धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.11.2021 से धारा 5 एवं धारा 96 स्वीकार की जा चुकी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपीलांट को रिकार्डेड सहखातेदार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कायमी एवं साक्ष्य हेतु चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विधि विरूद्व रूप से दिनांक 16.08.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर द्वारा तैयार किये गये है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा सभी पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना कर तैयार किये जायेगें। प्रस्तुत प्रकरण में इसकी पालना नही की गई है। ऐसे विभाजन प्रस्तावों के आधार पर पारित अन्तिम डिक्री भी विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नही की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 258, आर.एल.डब्ल्यू 2003(1) पेज 431, आर.एल. डब्ल्यू 2002 पेज 479 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दावा दायरी के समय जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार संयोजित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में विक्रय का कथन नही है। ऐसी स्थिति में क्रेता को पक्षकार नही बनाया गया है। क्रेता पूर्व खातेदार विक्रेता के फुट स्टेप पर अधिकार प्राप्त कर सकते है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय में इन विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। नवीनतम जमाबंदी में भी अपीलांट खातेदार दर्ज नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की पालना होने के उपरान्त अपील पोषणीय नही है। अपीलांट पृथक से दावा लाने हेतु स्वंतत्र है। अपीलांट की अपील पोषणीय नही है। रेस्पोडेंट ने वर वक्त बहस आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का निवेदन करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा अपीलांट को रिकार्डेड सहखातेदार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी एवं साक्ष्य हेतु चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विधि विरूद्व रूप से दिनांक 16.08.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को विधिक प्रकिया के विपरित होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विचारण न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है यह विभाजन प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर द्वारा तैयार किये गये है। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वंय द्वारा सभी पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना कर तैयार किये जायेगें। प्रस्तुत प्रकरण में इसकी पालना नही की गई है। ऐसे विभाजन प्रस्तावों के आधार पर पारित अन्तिम डिक्री भी विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर